कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, पिपरी, सोनभद्र ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**066 / 12, 21.12.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, पिपरी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 21.12.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न संविदा कार्य के लिये किये जाने वाले भुगतान पर 4% की दर से स्रोत पर कटौती करने या न करने तथा प्रान्त बाहर से आयातित मशीनरी एवं उनके पुर्जों पर प्रवेश कर की देयता होगी अथवा नहीं, से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 18.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि :-

1. यह कि BHEL से फार्म-38 एवं फार्म-सी के विरूद्ध माल खरीदा है एवं इसके लिए उसे BHEL से सप्लाई हेतु लिखित करार किया है ।

2. यह कि प्रार्थी ने BHEL से दूसरे लिखित करार के अन्तर्गत Erection, Testiing's Commissioning हेतु संविदा कार्य के लिए भी करार किया है ।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु माल दिया जाता है ।

4. यह कि प्रार्थी को स्वयं की जानकारी के आधार पर कि जॉब वर्क में वाणिज्य कर की कटौती नहीं की जाती है इसलिए कोई भी कर की कटौती नहीं की गयी है ।

5. यह कि प्रार्थी के पत्रावली पर CAG की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 4% की दर से वाणिज्य कर कटौती हेतु निर्देशित किया गया है ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान निम्न प्रकार हैं :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस

...2

शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त से स्पष्ट है कि स्रोत पर कटौती (TDS) से सम्बन्धित प्रश्न पूछा जाना उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित नहीं है जिसके कारण TDS से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर देय नहीं होना चाहिए। रू0 10,000,00/- या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी एवं उसके पुर्जों के सम्बन्ध में दिनांक 31.05.2009 तक 2% की दर से प्रवेश कर प्राविधानित था किन्तु शासन के नोटिफिकेशन संख्या-क0नि0-2-1045 / XI, दिनांक 29.05.2009 के द्वारा दिनांक 01.06.2009 से उक्त प्रवेश कर सम्बन्धी प्रविष्टि समाप्त कर दी गयी है। वर्तमान में मशीनरी या उसके पुर्जों पर प्रवेश कर की देयता नहीं है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि '' स्रोत पर कटौती '' (TDS) से सम्बन्धित जिज्ञासा का समाधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित नहीं है जिसके कारण इससे सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

मशीनरी एवं उसके पुर्जों पर वर्तमान में प्रवेश कर की देयता का कोई प्राविधान नहीं है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23 जून, 2014

ह0 / 23.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।